



2026:AHC:21984
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या - 1368 वर्ष 2026

दीपक वर्मा और 29 अन्य
बनाम
भारत संघ और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता
मेहरोत्रा

: जयंत प्रकाश सिंह
: ए.एस.जी.आई., अबरार अहमद, सी.एस.सी., प्रांजल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से सुश्री मीना मिश्रा, प्रत्यर्थियों की ओर से श्री जितेंद्र प्रसाद, श्री जितेंद्र प्रसाद, विद्वान स्थाई अधिवक्ता, श्री अबरार अहमद और श्री प्रांजल मेहरोत्रा, विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे कंप्यूटर-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, हालांकि, सिफारिश होने के बावजूद, 09.01.2025 के आदेश के अनुसार अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक के महीने के लिए प्रोत्साहन राशि और बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।

3. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

4. पीठ पर प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता संख्या 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 से 30 को प्रत्यर्थी संख्या 8 के समक्ष और शेष याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतें, विस्तृत निवेदन, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी उक्त निवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करेगा।

2 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"